दिनांक–31.08.16 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बी0जी0सी0एम0एस0 की Governing Council की बैठक की कार्रवाई:–

समयः– 04:30 अपराह्न।

स्थानः– मुख्य सभाकक्ष, पुराना सचिवालय, पटना।

उपस्थिति– मुख्य सचिव, बिहार।
विकास आयुक्त, बिहार।
प्रधान सचिव, वित्त विभाग।
प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग।
प्रधान सचिव, न0वि0एवंआ0वि0।
सचिव, पथ निर्माण विभाग।
प्रबंध निदेशक, बुडको।
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद।
नगर आयुक्त, पटना।
विशेष सचिव, न0वि0एवंआ0वि0।
सहायक निदेशक, न0वि0एवंआ0वि0।
अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग।
महाप्रबंधक, एन0बी0सी0सी0 एवं पदाधिकारी।
प्रबंधक, ई0आई0एल0।
बी0जी0सी0एम0एस0 के पदाधिकारी।

बैठक के क्रम में निम्नवत निर्णय एवं मार्गनिर्देश दिये गये :–

1. पूर्व के Governing Council (दूसरी बैठक दिनांक–27.05.13) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर चर्चा करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी।
2. बिहार राज्य के अंतर्गत बुडको, एन0बी0सी0सी0 एवं ई0आई0एल0 द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा पी0पी0टी0 के माध्यम से की गयी।
3. पटना में गंगा के किनारे बुडको द्वारा कराये जा रहे घाटों एवं प्रोमीनॉड के निर्माण में नागरिक सुविधा का ध्यान रखा जाए। जिसके अन्तर्गत घाटों पे Anti-skidding Flooring Stone, का उपयोग किया जाना है। पूर्व में जिन घाटों में Flooring का कार्य पूर्ण हो चुका है उनमें भी Anti-skidding treatment कराया जाय। गंगा के घाटों पर छठ आदि त्योहार के अवसर पर भारी भीड़ को देखते हुए भगदड़ की घटना को रोकने हेतु यथासंभव घाट खुला रहे तथा प्रोमीनॉड की चौड़ाई कम नहीं हो इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है।
4. नदी तट विकास योजना में 5 भवनों के निर्माण का प्रावधान है परंतु जिन भवनों के लिए स्थल अबतक उपलब्ध नहीं हो पाया है उसे स्थगित कर दिया जाय ताकि योजना समय पर पूर्ण हो सके। कलेक्ट्रेट घाट पर निर्माण होने वाले

कॉम्यूनिटि–कम–कल्चरल सेंटर को बहुविकल्पीय हॉल के रूप में विकसित किया जाय।

5. बुडको द्वारा कराये गये एस0टी0पी0 एवं सीवरेज नेटवर्क संबंधी निविदा जिसमें L1 की राशि प्रोजेक्ट कॉस्ट की राशि से अधिक है तथा उक्त अतिरिक्त राशि के केन्द्र सरकार से प्राप्त नही होने की स्थिति में इसे राज्य सरकार द्वारा वहन करने की बाध्यता के आलोक में निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने पर अनुमोदन कैबिनेट से लेने की आवश्यकता होगी।
6. नमामि गंगे योजना अंतर्गत एन0बी0सी0सी0/ई0आई0एल0 अपना कार्यालय बिहार में स्थापित करना सुनिश्चित करेंगे तथा उसमें निर्णय लेने एवं कार्यान्वयन करा सकने वाले उच्च स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।
7. नमामि गंगे योजना अंतर्गत कुल 35 शहरों में से 19 शहरों का कार्य एन0बी0सी0सी0 को आवंटित किया गया है। जिसमें वे केवल Entry level Activity का कार्य कर रहे हैं, वे इन सभी शहरों के एस0टी0पी0 एवं सीवरेज नेटवर्क का कार्य भी करें तथा अन्य गंगा के किनारे स्थित शहरों की Entry level Activities व एस0टी0पी0 एवं सीवरेज नेटवर्क का कार्य भी एन0बी0सी0सी0 एवं ई0आई0एल0 के द्वारा ही कराया जाए जिससे समन्वय समग्रता के साथ तेज गति से योजना पूर्ण हो सके। इसके लिए एन0एम0सी0जी0 से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया।
8. निर्णय लिया गया कि तत्काल बाढ़ एवं मोकामा जिनका डी0पी0आर0 तैयार है इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार की एजेंसी द्वारा कराया जा सकता है। इसकी स्वीकृति एन0एम0सी0जी0 से प्राप्त की जा सकती है।
9. गंगा ग्रामीण के अंतर्गत CPSUs को दिए गए सर्वे के कार्यों के कार्यान्वन हेतु स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया जाय। एन0एम0सी0जी0 द्वारा बिहार के भौगोलिक स्थिति को देखकर ही स्थानीय नागरिको एवं स्थानीय प्रशासन के सुझावों के अनुरूप स्थानीय आवश्यकता उपयोगिता एवं औचित्य के अनुरूप ही योजना ली जाय।
10. नमामि गंगे योजना के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं के अनुश्रवण हेतु MoA में दिए गए प्रोजेक्ट कमेटी जो मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में है उसकी मासिक बैठक प्रधान सचिव–सह–परियोजना निदेशक, बी0जी0सी0एम0एस0, नगर विकास एवं आवास विभाग करें तथा त्रैमासिक बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कराये जाने का निर्णय लिया गया।
11. नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत गंगा ग्रामीण योजना में CPSUs के द्वारा किए जाने वाले कार्य को Tripartite Memorandum of Agreement (MoA) के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित Project Committee में अन्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त ग्रामीण

अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रस्तावित Project Committee में अन्य पदाधिकारियों के अतिरिक्त ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं कृषि विभाग को सदस्यों के रूप में नामित करने पर विचार किया गया।

12. MoA के अनुसार इन योजनाओं का अनुमोदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा होना है इसके लिए चेक लिस्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाही समाप्त की गयी।

1/9/2016

(अंजनी कुमार सिंह),
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक–BGCMS/2016/20/08/413 न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 5/9/2016

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

2/9/2016

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–BGCMS/2016/20/08/413 न०वि०एवंआ०वि० / पटना, दिनांक– 5/9/2016

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग / प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव, कृषि विभाग / प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग / प्रधान सचिव, लो०स्वा०अभि० विभाग / सचिव, पथ निर्माण विभाग / प्रबंध निदेशक, बुडको / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद / अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / मुख्य वन संरक्षक, बिहार / अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग / विशेष सचिव, न०वि०एवंआ०वि० / सहायक निदेशक, न०वि०एवंआ०वि० / नगर आयुक्त, पटना / महाप्रबंधक, एन०बी०सी०सी० एवं पदाधिकारी / प्रबंधक, ई०आई०एल० / बी०जी०सी०एम०एस० के पदाधिकारी।

2/9/2016

प्रधान सचिव